By -Akhilesh Kumar (G T Assit. Professor)
JK college Biraul Darbhanga
YouTube :A Commerce Education

Notes BY: AKHILESH KUMAR(Guest Teacher)

DEPARTMENT OF COMMERCE

JANTA KOSHI COLLEGE BIRAUL, DARBHANGA

FOR-LNMU B. COM PART -2 Hons paper -III Business and Regulatory Framework

Unit-5 Formation of partnership firm Date 12-07-2020

Easy to Understand the concept

साझेदारी फर्म का पंजीकरण- *साझेदारी अधिनियम अनुसार साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं | यह साझेदारों की इच्छा पर निर्भर है।*

यदि कोई फर्म अ पंजीयन कराना चाहती है, तो उसे अपने राज्य के रजिस्ट्रार जब फर्म के पास निश्चित शुल्क सहित निम्नलिखित बातों का विवरण एक निश्चित फर्म पर लिखकर भेजना चाहिए-

(1) फर्म का नाम,

(2) व्यवसाय का मुख्य स्थान

(3) प्रत्येक साझेदार का नाम व पता,

(4) प्रत्येक साझेदार की। में प्रवेश की तिथि,

(5) फर्म की अवधि आदि।

जब रजिस्ट्रार पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता है कि उपयुक्त व्यवस्थाओं का पूर्ण रूप से पालन कर दिया गया है, तो वह को पंजीकृत कर देता है।

पंजीयन न कराने के प्रभाव-

(1) फर्म साझेदार पर प्रस्तुत नहीं कर सकती,

(2) साझेदार फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते,

(3) फर्म अन्य पक्षों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकती,

(4) अन्य पक्ष फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते है।

पंजीयन से लाभ-

(1) फर्म अन्य व्यक्ति के विरुद्ध प्रस्तुत कर सकती है।

(2) साझेदार फर्म तथा अन्य साझेदार विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता है।

(3) पंजीयन होने पर। साझेदार अपने अधिकारों के लिए अच्छी प्रकार लड़ सकता

कम्पनी का निर्माण- (1) प्रवर्तन की अवस्था, (2) समामेलन की अवस्था, (3) पूँजी प्राप्त करने की अवस्था, (4) व्यवसाय आरम्भ करने की अवस्था।

प्रश्न 4. साझेदारी फर्म का पंजीकरण अनिवार्य नहीं संक्षेप किन्तु वह वांछनीय माना जाता है। ऐसा क्यों?

उत्तर- भारतीय साझेदारी के अन्तर्गत साझेदारी फर्म या पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है। यह साझेदारों की इच्छा प्रवर्तक निर्भर करता है। पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) न कराने से फर्म को का महत्त्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए व्यावहारिक दृष्टि से पंजीयन कराना ही सदैव अच्छा रहता है।

पंजीयन कराने की विधि (Procedure for Registration)- जब कोई फर्म अपना पंजीयन कराना चाहती है, तो जा अपने राज्य के रजिस्ट्रार ऑफ

फर्म (Registrar of Firms) the | पास निश्चित शुल्क (Fees) सहित निम्नलिखित बातों का विवरण नाम एक निश्चित फार्म पर लिखकर भेजना चाहिए :

(1) फर्म का नाम,

(2) व्यवसाय का मुख्य स्थान

(3) प्रत्येक साझेदार का नाम व पता,

(4) प्रत्येक साझेदार की फ। में प्रवेश की तिथि,

(5) फर्म की अवधि आदि।

पंजीयन न कराने के प्रभाव (Effects of Nor registration)- फर्म का पंजीयन न कराने से निम्नलिखित असुविधाओं का सामना करना पड़ता है:

1. *कोई भी साझेदार अन्य साझेदारों के प्रति प्रस्तुत नहीं कर सकता- जब तक फर्म का पंजीयन न हुआ और वाद प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम फर्मों के रजिस्टर का साझेदार के रूप में न लिखा हो, तब तक वह परस अनुबन्ध से उत्पन्न होने वाले अथवा साझेदार अधिनियम प्रदान किए गए किसी अधिकार को परिवर्तित (Enforce) का। के लिए फर्म के अन्य साझेदारों के प्रतिवाद (Suit) प्रस्तुत कर सकता।*

2. ***फर्म भी किसी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत ना कर सकती- जब तक फर्म का पंजीयन न हो जाए, तब तक क किसी भी साझेदार के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती।***

3. ***कोई भी साझेदार फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकता- जब तक फर्म का पंजीयन न हो जाए, काई साझेदार फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता।***
4. ***फर्म अन्य पक्षों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं की सकती- यदि फर्म का पंजीयन न कराया गया हो, तो फर्म 5 अन्य पक्ष के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकती।***

5. ***अन्य पक्ष फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं- फर्म का पंजीयन न होने से अन्य पक्षों के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात् वे फर्म के विरुद्ध वाद प्रस्तुत कर सकते हैं।***